

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2013—चैत्र 15, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. ई-5-613-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल को दिनांक 12 से 20 मार्च 2013 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस., उपसचिव, म. प्र. शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग को दिनांक 18 से 28 फरवरी 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई-5-883-आयएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री अनय द्विवेदी, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला-छतरपुर को दिनांक 15 से 23 मार्च 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनय द्विवेदी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बिजावर जिला-छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाशकाल में श्री अनय द्विवेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनय द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-816-आयएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएस., कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 28 जून से 5 जुलाई 2012 तक आठ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-890-आयएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री अनुराग चौधरी, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर को दिनांक 25 से 30 मार्च 2013 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 24 मार्च 2013 एवं 31 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बृजेश सक्सेना, राप्रसे डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार जिला ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. श्री अनुराग चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृजेश सक्सेना उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

5. अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-892-आयएस-लीव-पांच-एक.—(1) श्री आशीष सिंह, आयएस., अनुविभागीय अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट को दिनांक 18 से 28 मार्च 2013 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 मार्च 2013 एवं 29 मार्च 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशीष सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री आशीष सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. ई-5-855-आयएस-लीव-पांच-एक.— श्री अशोक देशवाल, आयएस., तत्का. अपर आबकारी आयुक्त, म. प्र. ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2013 द्वारा दिनांक 5 से 11 जनवरी 2013 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उपभोग न किये जाने के कारण एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव."कार्मिक".

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब(एक).—(मेरिट क्र. 43), राज्य शासन, कु. शुभांगी पालो पिता श्री सुशील कुमार पालो को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला नबरंगपुर (ओडिशा) है. उसकी जन्मतिथि 12 नवम्बर 1988 है.

फा. क्र. 17(ई)73-2013-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अखिलेश पंड्या, रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल की सेवाएं वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपी जाती है तथा उनके स्थान पर श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी, को मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल में रजिस्ट्रार के पद पर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप में, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री योगेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस कर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय को सौंपता है.

फा. क्रमांक 3(ए)15-2005-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी, श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

फा. क्रमांक 17(ई)67-2008-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक सेवा के अधिकारियों की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र.	नाम तथा पद	नवीन पदस्थापना
1.	श्रीमती नीलम शुक्ला, 12वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, इंदौर (श्री रविकांत स्वर्णकार के स्थान पर).
2.	श्री सुशील कुमार जोशी, 18वें सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, इंदौर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, मंदसौर (श्री विजय सिंह कावछा के स्थान पर).

फा. क्रमांक 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य श्री गिरीश कुमार शर्मा को मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अनुसार द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर के पद पर नियुक्त किया गया था, के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के कारण राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 15 मार्च 2013 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र दिनांक 31 मार्च 2013 के अपराह्न से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा. क्रमांक 1013-इक्कीस-ब(दो)13.—राज्य शासन श्री लक्ष्मण भैया चौहान, नोटरी तहसील कराहल, जिला श्योपुर (म. प्र.) के विरुद्ध श्री गोपाल मूर्ती दुर्वे, अधिवक्ता द्वारा नोटरी नियम के अंतर्गत की गई शिकायत की जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर (म. प्र.) के जांच प्रतिवेदन के आधार पर, नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (12) (ख) (iii) के अंतर्गत सिद्ध हुए अवचार की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार एतद्वारा चेतावनी देता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. एफ 1(ए)88-2008-ब-2-दो.—श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दतिया को पुलिस मुख्यालय के आदेश क्र. 782/13, दिनांक 18 मार्च 2013 द्वारा दिनांक 30 मार्च से 12 अप्रैल 2013 तक, चौदह दिवस स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत "अण्डमान-निकोबार" की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री चन्द्रशेखर सोलंकी	स्वयं
2.	डॉ. दीप शिखा माथुर	पत्नी
3.	मास्टर आरव	पुत्र

2. उक्त यात्रा हेतु श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ-11-2-2011-सात-शा-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-3-2012-एम एण्ड जी दिनांक 26 फरवरी 2013 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन एतद्वारा भोपाल जिले के ग्राम "बैरागढ़" का नाम परिवर्तित कर "संत हिरदाराम नगर" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2013

क्र. एफ-11-2-2011-सात-शा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-2-2011-सात-शा-6, दिनांक 3 अप्रैल 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2013

No. F-11-2-2011-VII-6.—In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-3-2012-M&G dated 26th February 2013 the State Government hereby change the name of village of "BAIRAGADH" district Bhopal as "SANT HIRDARAM NAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2013

क्र. एफ-3-82-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक एक सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-82-2011-बत्तीस, दिनांक 8 नवम्बर 2012 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे. में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम	692,	0.0084	सार्व. एवं अर्ध सार्व.	आवासीय
	झिझरी.	692,	3.2816	कृषि	आवासीय
		699,	2.90	कृषि	आवासीय
		700	0.008	उद्योग	आवासीय
		700	0.512	कृषि	आवासीय
		703 एवं 704	2.00	कृषि	आवासीय
		705/1	3.84	अल्प आवासीय धनत्व	आवासीय
		705/1	39.86	कृषि	आवासीय
		722/1-क	2.94	अल्प आवासीय धनत्व	आवासीय
	एवं ख				
		722/1 क एवं ख	27.6936	कृषि	आवासीय
		723	2.53	कृषि	आवासीय
	योग . .		85.5636		

2. उक्त उपांतरण कटनी विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डी, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र.-क्यू-ए.पी.डी.2013-4484.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला विदिशा, “कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा” में निम्नांकित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र.	नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता	संस्था/व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट किया गया है	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भगवान दास अहिरवार नि. लुहांगी रोड विदिशा.	मा. श्री हरि सिंह रघुवंशी, विधायक विधान सभा क्षेत्र गंजबासौदा.	1972 की धारा 11 (5)
2	श्री रघुवीर सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, मार्केटिंग सोसायटी, विदिशा.	विपणन सहकारी समिति मर्यादित, विदिशा	1972 की धारा 11 (5)

आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, श्रम पदाधिकारी, श्रम उपसंभाग अनूपपुर, जिला—अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र.-नवम-श्र.उ.सं.अ.-2012-199.—मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 13 की उपधारा (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा राज्य शासन अधिसूचना क्रमांक एफ. 14-(ई)6-98-ए-16, दिनांक 11 जनवरी 2008 राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 नवम्बर 2008 के अंतर्गत प्राधिकृत मैं श्रीमती संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी अनूपपुर अपने कार्य क्षेत्र में धारा 13 की उपधारा (3-क) के अन्तर्गत निम्नानुसार स्तम्भ (1) में उल्लेखित स्थानीय क्षेत्र के लिये स्तम्भ (2) में उल्लेखित साप्ताहिक अवकाश घोषित करती हूँ. जो कि अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगी:—

क्र.	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
(1)	(2)	(3)
	स्थानीय क्षेत्र/नगर का नाम	साप्ताहिक अवकाश दिन धारा 13(1)
1	बिजुरी	शनिवार

नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र एवं नगरपालिका परिषद के चारों ओर 3 किलोमीटर तक की परिधि में यह बंद दिन प्रभावशील होगा.

संध्या सिंह, श्रम पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), स्थानीय निर्वाचन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र.-स्था. निर्वा.-स्टोर-मण्डी-12-26-26-603.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11 के खण्ड च, ज एवं झ के अन्तर्गत कृषि विभाग, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, तथा जिला भूमि विकास बैंक

के निम्न दर्शित सदस्यों को कालम (2) में उल्लेखित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	कृषि विभाग (3)	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (4)	जिला भूमि विकास बैंक (5)
1	कृषि उपज मंडी समिति, उज्जैन	श्री बी.एस. अर्गल, अनुविभागीय कृषि अधि. उज्जैन.	श्री शंकरलालजी आंजना, उपाध्यक्ष	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष
2	कृषि उपज मंडी समिति, बड़नगर	श्री आर. एस. गुजराती, सहा. भूमि संर. अधि. बड़नगर.	श्री रमेश चन्द्रजी पण्ड्या, संचालक	श्री सुकूमालजी जैन, संचालक
3	कृषि उपज मंडी समिति, महिदपुर	श्री अश्विनी झारिया, सहा. भूमि संर. अधि. (नघाया) महिदपुर.	श्री किशोर लालजी मेहता, संचालक	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष
4	कृषि उपज मंडी समिति, तराना	श्री के. एन. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, तराना.	श्री राजपाल सिंह सिसोदिया, संचालक	श्री करण सिंह जी कुम्हाड़ी, संचालक
5	कृषि उपज मंडी समिति, खाचरोद	श्री सी. एस. सिसोदिया, अनु. कृषि अधिकारी, खाचरोद.	श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष	श्री रूग्नाथ सिंहजी पंवार, संचालक
6	कृषि उपज मंडी समिति, नागदा	श्री आर.एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.	श्री लालसिंहजी राणावत, अध्यक्ष	श्री बालूसिंहजी आंजना, संचालक
7	कृषि उपज मंडी समिति, उन्हेल	श्री शशिरंजन भट्ट वरिष्ठ कृषि विकास अधि. खाचरोद.	श्री दिनेश जी परिहार, संचालक	श्री किशन सिंहजी भटोल, अध्यक्ष

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-श्रीजी-12-13-122.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2012-13 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर जिला बैतूल, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1	बैतूल/बैतूल	फैक्ट्री गेट	53	3825.234
2	बैतूल/घोड़ाडोंगरी	फैक्ट्री गेट	11	227.111
3	बैतूल/चिचोली	फैक्ट्री गेट	9	174.482
4	बैतूल/आमला	फैक्ट्री गेट	52	2407.407
योग . .			125	6634.234

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

श्रीजी शुगर एण्ड पावर प्रा. लि. सोहागपुर गन्ना क्षेत्र आरजन

तहसीलवार एवं ग्रामवार गन्ना क्षेत्रफल विवरण सीजन 2012-13 (हैक्टेअर में)

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बैतूल बाजार	272.975	202.024	241.700	716.699	309	बैतूल
2	बयावाड़ी	9.311	20.951	3.641	33.903	28	बैतूल
3	भरकावाड़ी	13.056	15.991	14.170	43.217	27	बैतूल
4	लोहारिया	10.121	3.643	9.109	22.873	13	बैतूल
5	बघोली	15.587	7.287	2.024	24.898	30	बैतूल
6	गौडीगौला	12.550	12.145		24.695	27	बैतूल
7	सोहागपुर	41.902	42.307	48.582	132.791	94	बैतूल
8	मिलानपुर	19.433	24.898	26.720	71.051	26	बैतूल
9	जावरा	13.765	23.481	3.643	40.889	35	बैतूल
10	आरूल	13.461	19.433	12.449	45.343	29	बैतूल
11	बाजपुर	20.647	21.862	31.578	74.087	36	बैतूल
12	रतनपुर	9.311	8.704	10.121	28.136	22	बैतूल
13	बुंडाला	8.906	5.668	18.623	33.197	22	बैतूल
14	कन्नडगांव	11.133	2.429	13.360	26.922	23	बैतूल
15	लाखापुर	16.194	7.894	17.004	41.092	37	बैतूल
16	काजीजामठी	23.076	19.433	18.016	60.525	47	बैतूल
17	भीलावाड़ी	8.502	10.323	8.299	27.124	27	बैतूल
18	मोवाड़	12.550	5.668	15.708	33.926	26	बैतूल
19	मलकापुर	81.072	42.813	131.578	255.463	102	बैतूल
20	भैंसदेही	28.137	13.360	37.246	78.743	33	बैतूल
21	खेड़ी	29.352	19.433	67.914	116.699	31	बैतूल
22	केलापुर	6.882	11.336	6.477	24.695	21	बैतूल
23	खंडारा	43.421	21.457	68.117	132.995	48	बैतूल
24	राठीपुर	8.299	2.631	14.170	25.1	21	बैतूल
25	बरसाली	16.902	10.627	14.777	42.306	28	बैतूल
26	उमरीजागीर	11.538	14.979	22.064	48.581	30	बैतूल
27	बैतूल	27.935	11.538	40.080	79.553	27	बैतूल
28	टिकारी	51.012	28.947	32.995	112.954	42	बैतूल
29	हमलापुर	15.991	0.809	26.113	42.913	23	बैतूल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	बोड़ना	12.753	12.145	2.429	27.327	34	बैतूल
31	बडोरा	60.222	46.761	30.364	137.347	79	बैतूल
32	दनोरा	46.255	30.668	40.890	117.813	58	बैतूल
33	रोंडा	9.919	10.728	10.323	30.97	21	बैतूल
34	भडूस	41.497	25.708	34.008	101.213	54	बैतूल
35	महदगांव	33.400	20.445	30.364	84.209	97	बैतूल
36	कोसमी	44.534	47.975	16.194	108.703	54	बैतूल
37	टेमनी	17.206	23.684	3.643	44.533	25	बैतूल
38	भोगीतेड़ा	37.651	46.558	15.182	99.391	64	बैतूल
39	सेहरा	17.813	17.004	8.502	43.319	22	बैतूल
40	डोंडवाड़ा	9.311	7.489	4.453	21.253	18	बैतूल
41	भयावाड़ी	20.242	22.064	6.477	48.783	22	बैतूल
42	खेड़ी (सोंवलीगढ)	5.668	15.182	5.060	25.91	17	बैतूल
43	खापरखेड़ा	23.684	31.983	2.429	58.096	35	बैतूल
44	माथनी	15.182	14.777	1.619	31.578	26	बैतूल
45	मंडई बुजुर्ग	22.874	28.137	5.668	56.679	31	बैतूल
46	छोटी मंडई	15.384	10.526	4.038	29.948	32	बैतूल
47	कोदारती	33.400	37.044		70.444	37	बैतूल
48	डोकियापाढर	14.979	11.740		26.719	17	बैतूल
49	लापाझिरी	14.574	22.267		36.841	24	बैतूल
50	सिल्लौट	17.004	16.194	6.882	40.080	21	बैतूल
51	हिवरखेड़ी	37.854	42.914	28.137	108.905	85	बैतूल
52	रातामाटी	8.097	11.538	3.238	22.873	35	बैतूल
53	चांदबेड़ा	5.263	4.048	1.619	10.930	8	बैतूल
योग . . .		1417.787	1189.650	1217.797	3825.234	2180	

क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	जुवाड़ी	6.882	13.36	21.457	41.699	9	घोड़ाडोंगरी
2	मेहकार	5.668	5.668		11.336	10	घोड़ाडोंगरी
3	आमढाना	2.024	9.311		11.335	14	घोड़ाडोंगरी
4	कोयलारी	1.214	2.024	2.834	6.072	1	घोड़ाडोंगरी
5	छुरी	14.17	18.623	13.765	46.558	16	घोड़ाडोंगरी
6	भयावाड़ी	4.048	9.311	0.809	14.168	14	घोड़ाडोंगरी
7	हीरावाड़ी	7.287	17.813	0.809	25.909	24	घोड़ाडोंगरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	कुही	2.631	4.453	1.619	8.703	5	घोड़ाडोंगरी
9	नीमपानी	3.238	8.906	2.429	14.573	11	घोड़ाडोंगरी
10	डोलीढाना	12.145	18.623	3.643	34.411	17	घोड़ाडोंगरी
11	छुरी	4.453	6.68	1.214	12.347	8	घोड़ाडोंगरी
	योग . .	63.76	114.772	48.579	227.111	129	
क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	चिचोली	10.728	13.967	4.655	29.35	19	चिचोली
2	जोड़ीढाना	5.263	4.655	0.404	10.322	13	चिचोली
3	जोगली	10.323	9.919	2.429	22.671	20	चिचोली
4	मिरजापुर	8.299	7.085	0.809	16.193	9	चिचोली
5	नसीराबाद	7.287	8.097		15.384	15	चिचोली
6	बोरी	2.024	11.336		13.36	17	चिचोली
7	गोंडूमंडई	11.74	19.433	1.619	32.792	22	चिचोली
8	निवाड़ी	6.477	12.55	6.072	25.099	18	चिचोली
9	मलांजपुर	5.263	4.048		9.311	7	चिचोली
	योग . .	67.404	91.09	15.988	174.482	140	
क्र.	गांव का नाम	पौधा	प्रथम रैटून	द्वितीय रैटून	कुल योग	कृषकों की संख्या	तहसील का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नांदपुर	10.121	7.287	2.834	20.242	18	आमला
2	बोड़खी	17.611	2.429	15.789	35.829	31	आमला
3	आमला	23.481	26.315	5.668	55.464	15	आमला
4	तोरनवाड़ा	23.886	25.910	8.502	58.298	15	आमला
5	परसोड़ी	28.947	55.870	4.048	88.865	101	आमला
6	खिरकीखुर्द	9.008	8.805	2.631	20.444	16	आमला
7	खापाखतेड़ा	44.939	72.469		117.408	76	आमला
8	बोरीखुर्द	22.267	20.242	6.477	48.986	30	आमला
9	छावल	35.222	45.344	3.238	83.804	48	आमला
10	डुटमुर	42.510	63.562	11.740	117.812	50	आमला
11	रतेड़ाकला	23.076	46.963	2.834	72.873	68	आमला
12	रतेड़ाखुर्द	44.534	62.348	6.072	112.954	84	आमला
13	माहोली	20.445	23.684	4.858	48.987	20	आमला
14	डोडावानी	24.089	35.627	1.619	61.335	53	आमला
15	जमदेहीकला	10.931	12.955	2.024	25.910	19	आमला
16	जमदेहीखुर्द	21.862	21.457	10.121	53.440	40	आमला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	नरेरा	31.376	25.708	1.619	58.703	41	आमला
18	कुटखेड़ी	14.979	10.121	2.834	27.934	25	आमला
19	छिपन्या	27.935	17.813	10.526	56.274	19	आमला
20	बिजोरी	20.242	17.004	3.643	40.889	21	आमला
21	बामला	10.526	10.121	1.619	22.266	13	आमला
22	कलमेश्वरा	22.267	8.906	2.024	33.197	25	आमला
23	बोरदही	7.287	4.048	4.048	15.383	8	आमला
24	इटावा	6.275	5.263	4.858	16.396	13	आमला
25	तरोड़ाकला	21.457	13.562	1.821	36.84	14	आमला
26	डांगरिया	7.489	8.906		16.395	65	आमला
27	ख्यालपुर	40.080	41.700	3.643	85.423	47	आमला
28	बड़गांव	29.757	27.935	2.834	60.526	3	आमला
29	राजेगांव	23.076	17.004	6.477	46.557	11	आमला
30	कोडरखापा	39.676	27.935	13.360	80.971	25	आमला
31	बोरगांव	11.740	14.170	2.834	28.744	24	आमला
32	जम्बाड़ा	29.554	29.554	6.477	65.585	22	आमला
33	तिरमहु	11.740	13.360	1.214	26.314	65	आमला
34	देहगांव	29.149	31.570	9.716	70.435	38	आमला
35	कनोजिया	16.194	18.825	0.809	35.828	32	आमला
36	देओटान	18.218	11.336	16.599	46.153	27	आमला
37	लालावाड़ी	15.789	46.153	20.644	82.586	63	आमला
38	हथनोरा	27.935	24.291	0.404	52.630	26	आमला
39	भयावाड़ी	19.635	13.967	2.429	36.031	19	आमला
40	छातावाड़ी खुर्द	11.336	8.906	4.048	24.290	8	आमला
41	छातावाड़ी कला	17.712	11.639		29.351	23	आमला
42	खेडलीबाजार	7.287	3.643	2.024	12.954	7	आमला
43	हरन्या टांडी	9.311	8.502	1.619	19.432	11	आमला
44	बारन्या	12.955	10.526	4.453	27.934	20	आमला
45	दहलवाड़ा	10.526	8.906		19.432	12	आमला
46	सिमरिया	17.813	12.550	2.834	33.197	23	आमला
47	कचरवोट	22.267	8.502	4.453	35.222	23	आमला
48	अवारिया	8.299	11.133	3.643	23.075	26	आमला
49	बूचनवाड़ी	7.692	14.574	2.429	24.695	18	आमला
50	चोपना	19.028	5.668		24.696	21	आमला
51	खर्परा खेड़ी	19.433	18.623	4.048	42.104	22	आमला
52	केदार खेड़ा	8.097	14.574	3.643	26.314	17	आमला
	योग . .	1057.061	1108.265	242.081	2407.407	1561	

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. 652-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवाँ	बुड़वा पैपखार	0.032	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्यौंटी नहर की आलमगंज वितरक नहर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. 659-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	बिड़वा	0.092	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 661-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	करहिया	0.027	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 663-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमारिया	भवरा	2.75	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की बेलरी सब माइनर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 665-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	बेला कोठार	0.400	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 667-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान.	चोरमारी कोठार.	0.050	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की चोरमारी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 669-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोठर	सोनवर्षा कोठार.	1.360	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की घटबेलवा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 671-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने

के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) कोटर	(3) किटहा कोठार.	(4) 0.512	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की किटहा माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 673-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रघुराजनगर	(3) खम्हरिया तिवरियान	(4) 0.150 (छूटा हुआ रकवा)	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा मुख्य नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 675-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) कोटर	(3) मझियार कोठार.	(4) 0.800	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की कंदवा, महिदल न. 1 एवं न.-2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 677-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) कोटर	(3) देवमऊ दलदल	(4) 4.041	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की देवमऊ दलदल माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 679-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रामपुर बघेलान	(3) सगौनी कोठार	(4) 0.448	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की सगौनी माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 681-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) कोटर	(3) गाजन कोठार	(4) 0.662	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की गाजन माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 683-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	डेंगरहट कोठार	1.288	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की डेंगरहट माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 685-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महिदलखुर्द	0.120	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल न.-1 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 687-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	कोटर	सेमरी 55/45	3.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर की सेमरी 55/45 सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 689-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	भमरा कोठार	17.96	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका संभाग रीवा.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा मुख्य नहर की पुरवा टेल माइनर नहर भवरा सब माइनर न. 1, 2 एवं 3 के निर्माण में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 691-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	कोटर	महिदलकला	4.796	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	बाणसागर परियोजना की पुरवा नहर की महिदल वितरक नहर की महिदल माइनर न.-1 एवं न.-2 माइनर नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 699-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रामपुर बघेलान	(3) घुंघचिहाई	(4) 1.52	(5) कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) बाणसागर परियोजना अंतर्गत पथण्डा वितरक की गौरैया माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 721-प्रशा.-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) सतना	(2) रामपुर बघेलान	(3) करमऊ	(4) 0.138 (छूटा हुआ रकवा)	(5) कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पुरवा नहर संभाग क्र.-2 सतना.	(6) बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि-अर्जन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 750-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) हुजूर	(3) मरहा	(4) 1.303	(5) कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	(6) नौवस्ता वितरक नहर की कठार माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2013

क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारों का उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
		नगर/ग्राम	प. ह. न./न. ब.		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
जबलपुर	जबलपुर	(1) माढ़ोताल	प. ह. नं. 1 (नया.) 25/31 (पुराना) बन्दो नं. 660.	23.336	मुख्य कार्यपालिक अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण जबलपुर.	योजना क्र. 62 (आवासीय योजना) से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.
		(2) गोहलपुर	प. ह. नं. 1 (नया) 25/31 (पुराना) बंदो. नं. 601	3.376		
योग . .				26.712		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 22 मार्च 2013

क्र. 2828-भू-अर्जन-7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
		ग्राम	प. ह. नं. 1 (नया.)		द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
हरदा	खिरकिया	कालधड		1.172	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 7 एल 9 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2804-भू-अर्जन-8-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	ढोलागांवकलां	1.273	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	काकडकच्छ माईनर की 8 आर सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2830-भू-अर्जन-9-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	पोखरनी	2.892	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 12 एल सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2820-भू-अर्जन-10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	हथनोरी	0.704	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 7 एल सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2832-भू-अर्जन-11-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	बसंतपुरा	0.291	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 12 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2822-भू-अर्जन-12-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	हरिपुरामाल	1.441	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 5 एल एवं 7 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2836-भू-अर्जन-13-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	प्रतापपुरासेठ	1.369	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 3 एल सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2834-भू-अर्जन-14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	बसंतपुरा	1.130	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 6 आर. सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2814-भू-अर्जन-15-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	लोनी	2.411	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	वाफला माईनर की 16 आर. एवं 17 एल. सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2812-भू-अर्जन-16-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	कालधड	0.032	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 6 आर. सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2824-भू-अर्जन-17-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलॉ	1.337	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2810-भू-अर्जन-18-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	जादोपुरा	0.426	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	चारूवा माईनर की 3 एल. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2816-भू-अर्जन-19-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	खिरकिया	उगावाभट्ट	1.128	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	मरदानपुर माईनर की कालकुण्ड सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2808-भू-अर्जन-20-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	मरदानपुर	1.516	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 9 आर. एवं 11 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2806-भू-अर्जन-21-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलां	1.607	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 1 आर. ए. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2826-भू-अर्जन-22-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	रहटाकलां	4.358	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 3 आर. एवं 5 आर. सब माइनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा, प्लान आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2818-भू-अर्जन-23-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	सिराली	पंधान्या	1.173	भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया	बाफला माईनर की 11 आर. सब माईनर के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) आदि अपर कलेक्टर/भू-अर्जन अधिकारी खिरकिया/कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिरकिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2013

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3101.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खरसाली	9.853	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3102.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	थावरिया	6.710	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3103.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	चैनपुर	13.949	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 2012-13-भू-अर्जन-3104.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	हरदोली	21.057	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई.	यू. आई.डी.एस.एस.एम.टी. जल आवर्धन योजनान्तर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 828-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
होशंगाबाद	इटारसी	ग्राम-रैसलपुर प. ह. नं.-15	0.368	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.	कृषि विपणन हेतु लाजिस्टिक हब हेतु रेल्वे लाइन बिछाने हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

होशंगाबाद, दिनांक 23 मार्च 2013

क्र. 869-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
होशंगाबाद	इटारसी	सोनासांवरी प. ह. नं.-14	1.242	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भा/स) शाखा उपसंभाग, क्रमांक-1, होशंगाबाद.	इटारसी से सोनासांवरी-सावलखेडा मार्ग निर्माण हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. क-प्र. भू-अर्जन-2012-2013-2582.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
		ग्राम	क्षेत्रफल			
			कुल ख. नंबर			कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	देवरी	समनापुर खरगराम	3	0.67	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 1, सागर.	समनापुर जलाशय योजना के एस्केप एवं चैनल हेतु.
(2)	सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—समनापुर जलाशय योजना के एस्केप एवं चैनल हेतु.					
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 2630-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	हरई	ग्राम—भुमका ब. नं. 46 प.ह.नं. 21 रा.नि.मं.—बटकाखापा	रकबा 0.273 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला-छिन्दवाड़ा	भुमका जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव नहर उपसंभाग नम्बर-2, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 1137-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसमें सम्बद्ध लागू होते हैं :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	झाबुआ	आमलीफलिया	0.030	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर.	झाबुआ-जोबट-कुक्षी राजमार्ग क्रमांक-39 पर ग्राम आमलीफलिया मोड़ सुधार कर नव परिवर्तित मार्ग हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ के कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1284-भू-अर्जन-रीडर-1-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आवश्यक सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील/जिला	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	थांदला/झाबुआ	रामनगर	1.38	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 झाबुआ.	भीमपुरा बैराज के निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय झाबुआ में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, झाबुआ तथा अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग थांदला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 14 मार्च 2013

प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13-क्र. 598-भू-अर्जन-2013.—
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि
नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची
के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता
है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)
की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—राजपुर

(ग) ग्राम—भागसुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.246 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		
2/2, 3/4	0.324	39/6	0.230
8/2	0.300	40/2	0.500
8/4	0.030	42/1	0.780
8/5	0.130	42/2	0.020
9/6	0.849	43/2, 43/3, 44,49/1	1.300
9/8, 10/4	0.360	43/5	0.300
9/4	0.089	43/6	0.500
31/2	0.150	46	0.030
9/5	0.060	54/3, 59	0.740
25/3	0.060	58/2	0.243
11/1क	0.500	58/3	0.016
17/3	0.350	58/4	0.454
19/4	0.020	62/3	0.180
23/3, 23/4	0.845	62/4	0.170
23/5	0.990	62/5	0.505
24/2	0.112	62/6	0.300
25/2	0.300	63/2	0.502
27	0.330	63/3	0.506
29	0.520	64/2	0.270
30/2	0.130	64/3	0.502
39/1	0.110	64/4	0.500
		66/5	0.160
		66/6	0.709
		78, 80	0.500
		82/3, 206	1.040
		82/4, 207/1, 208/1	0.270
		82/5, 207/2, 208/2	0.900
		105/2	0.080
		105/3	0.110
		105/4, 106/1	0.560
		105/5, 106/2	0.530
		107/2, 108, 109/1	0.570
		110/2, 135/2	0.620
		135/1	0.070
		136	0.740
		137/1	0.370
		137/2	0.630
		137/3	0.200
		138/1, 138/3	0.150
		138/2	0.090
		138/4	0.190
		138/5	0.330

(ग) ग्राम—राईपुरा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.013 हेक्टेयर		108/2ख	0.820
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	153/2	0.100
(1)	(2)	164/1	0.950
		164/4	0.600
2/2	0.410	164/9	0.100
2/3, 3/4	0.390	165/4	0.030
2/8	0.550	योग . . . 12.013	
2/10	0.750	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.	
3/5	0.540	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्रि, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.	
4/3	0.500	प्र. क्र. 39-अ-82-2012-2013-क्र. 595-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-	
5/3		अनुसूची	
7/2		(1) भूमि का वर्णन—	
5/2	0.320	(क) जिला—बड़वानी	
7/1/1	0.630	(ख) तहसील—बड़वानी	
7/3	0.240	(ग) ग्राम—गोठानिया	
8/7		(घ) लगभग क्षेत्रफल—15.239 हेक्टेयर.	
8/2	0.110	खसरा नम्बर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)
8/4	0.053	(1)	(2)
10/2		136/2, 138/1,	0.450
10/1क	0.190	138/2, 139	
10/1ख	0.200	136/5	0.050
10/1ज	0.073	136/6	0.180
10/1घ पैकि	0.160	137/1	0.020
10/1घ पैकि	0.300	137/2	1.292
10/1ड पैकि	0.288	141	0.348
10/1छ पैकि	0.159		
10/3	0.260		
10/4	0.130		
11	0.035		
12/1	0.140		
13/2			
13/3			
12/3	0.335		
87 पैकि	0.450		
88, 92/2	0.400		
89/1, 89/3	0.150		
89/2	0.100		
90/1, 109/4	0.600		
91/3	0.080		
107	0.150		
108/1ख, 108/2क	0.620		
108/1ग, 109/3	0.100		

(1)	(2)
142	0.010
151	0.560
156/2	0.218
156/3	0.081
156/8	0.235
156/9	0.162
156/10	0.129
156/12	0.170
156/11	0.214
157/1	0.740
157/2	0.330
157/3	0.340
185	0.757
200	0.915
235	0.975
236	0.283
237	0.300
238/1	0.130
238/2	0.250
242/1	0.210
242/2	0.809
244	0.206
245	0.030
297/5, 337	0.600
297/6, 331	1.260
299/3	0.060
299/4	0.150
299/5	0.100
299/6	0.100
319	0.480
320/2	0.050
320/3	0.040
324	0.075
325	0.060
327/1, 328/2	0.290
329/1	0.260
329/2	0.090
343	0.120
364	1.080
400	0.030

योग . . . 15.239

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—शहीद भीमा नायक परियोजना (लोअर गोई) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोअर गोई नहर संभाग, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 42-अ-82-2012-2013-क्र. 599-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) परिसंपत्ति का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
 (ख) तहसील—बड़वानी
 (ग) ग्राम—वेदपुरी पूरक प्रकरण,
 (शासकीय भूमि में स्थित मकान).
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—66.20 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान का नाम	मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री मगन पिता सिलदार		1	48.58
2	मीट्या पिता गेदया		1	17.62
योग . .			2	66.20

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 43-अ-82-2012-2013-क्र. 600-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण,
(निजी भूमि में स्थित).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1190.91 वर्गमीटर.

स. क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कलाबाई पिता रायसिंग	1	107.36
2	सुरमल पिता रातू	1	21.46
3	राजू पिता भूरला	1	10.58
4	अनसिंग पिता फुलसिंग	1	61.00
5	फुलसिंग पिता रातू	1	66.36
6	चैनसिंग पिता रातू	1	44.20
7	लछा पिता फुलसिंग	1	80.59
8	शंकर पिता रातू	1	92.40
9	सरपया पिता सूरमल	1	72.52
10	सूरमल/रातू	1	76.70
11	रालसिंग पिता साहदरया	1	73.00
12	साहदरया/रातू	1	28.56
13	सूरमल/रातू	1	86.00
14	सूरमल/रातू	1	47.69
15	भारत पिता भूरसिंग	1	39.13
16	भूरसिंग/जामा	1	48.64
17	जामा/रातू	1	73.14
18	धना/जामा	1	47.17
19	लक्ष्मण पिता भावसिंग	1	42.18
20	मिश्रीलाल पिता धुलसिंग	1	38.59
21	लकडिया भाया पिता कुशिया, (1-कुंआ).	1 (कुंआ)	33.64
योग . .			1190.91

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 44-अ-82-2012-13-क्र. 594-भू-अर्जन-2013.—
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण,
(निजी कृषि भूमि).
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.141 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/2, 612/1	0.405
733/2	0.101
735/5	0.304
784/1, 792/2	1.331
योग . .	2.141

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 15 मार्च 2013

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13-क्र. 623-भू-अर्जन-2013.—
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची

के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला उत्तर पूरक प्रकरण (शासकीय)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—245.79 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सखाराम पिता गुलाब	1	65.18
2	भीमसिंग पिता धनजी	1	180.61
योग . .		2	245.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

रा. प्र. क्र. 40-अ-82-2012-13-क्र. 624-भू-अर्जन-2013. —
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—पांचपुला दक्षिण पूरक प्रकरण (शासकीय भूमि में).

(घ) लगभग क्षेत्रफल—120.05 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कालू पिता सवजी	1	9.60
2	रतन पिता मांग्या	1	39.78
3	टेमरिया पिता मांग्या	1	23.92
4	शोभाराम पिता रेदा	1	46.75
योग . .		4	120.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 18 मार्च 2013

रा. प्र. क्र. 41-अ-82-2012-13-क्र. 632-भू-अर्जन-2013.—
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) परिसंपत्ति का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—बड़वानी
(ग) ग्राम—वेदपुरी पूरक प्रकरण
(निजी भूमि में स्थित मकान)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—74.80 वर्गमीटर.

सरल क्र.	मकान मालिक का नाम	अधिग्रहित मकान की संख्या	मकान का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चेंदीबाई बेवा पाण्ड्या	1	74.80
योग . .		1	74.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअर गोई परियोजना के मुख्य बांध निर्माण हेतु.	(1)	(2)
	117/1/2	0.169
नोट. —भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, लोअर गोई परियोजना, बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.	113/2/1	0.301
	114/2/1	0.308
	115/2/1	0.163
	116/2/1	0.139
	117/2/1	0.169
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	113/2/2	0.150
श्रीमन् शुक्ला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	114/2/2	0.154
	115/2/2	0.082
	116/2/2	0.069
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश	117/2/2	0.084
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	113/2/3	0.150
	114/2/3	0.154
राजगढ़, दिनांक 15 मार्च 2013	115/2/3	0.081
	116/2/3	0.069
क्र. 2764-65-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	117/2/3	0.085
	118/1	0.530
	119/1	0.134
	120/1	0.182
	121/1	0.166
	118/2	0.530
	119/2	0.133
	120/2	0.182
	121/2	0.166
अनुसूची	112/1	1.848
(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि	112/2	1.100
(क) जिला—राजगढ़	400	0.200
(ख) तहसील—जीरापुर	401/1	1.000
(ग) ग्राम—बंदा	401/2	1.000
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—16.988 हेक्टर.		
खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	योग . . .
(1)	(2)	<u>16.988</u>
80/2/1	1.500	
109	4.000	
113/1/1	0.301	
114/1/1	0.308	
115/1/1	0.163	
116/1/1	0.138	
117/1/1	0.169	
113/1/2	0.300	
114/1/2	0.309	
115/1/2	0.163	
116/1/2	0.139	
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
		क्र. 2768-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(1)	(2)
14/6	0.243
14/7	0.243
14/8	0.304
56/1	2.000
56/2	3.000
57	0.061
58	0.065
60/1	2.000
60/2	0.674
योग . .	<u>32.945</u>

अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—जीरापुर
- (ग) ग्राम—डोब
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—32.945 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1/1/1/3	0.809
5/1/1/1/6	0.809
5/1/1/1/7	0.809
5/1/1/1/8	0.809
5/1/1/1/10/2	2.000
5/1/1/1/10/3	1.000
5/1/1/1/10/4	1.000
5/1/1/1/11/3	1.000
5/1/1/1/11/5	1.000
10/1/2/10/2	3.036
10/2	2.023
7/1	1.366
7/2	0.253
9/5/2	0.405
9/6	0.607
9/7	0.607
9/8	0.405
9/10	0.405
9/12	0.534
10/1/1	1.975
9/11	0.405
11/1, 12/1	0.233
13	0.709
11/2, 12/2	0.941
14/1	0.243
14/2	0.243
14/3	0.243
14/4	0.243
14/5	0.243

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2771-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—जीरापुर
- (ग) ग्राम—माचलपुर
- (घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—45.237 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
1537	0.100
1539	0.500
1540	0.700
1541, 1542	3.648
1544	0.890
1545	1.004

(1)	(2)	(1)	(2)
1546	0.890	1565/1/1	0.258
1547	1.416	1565/1/2	0.259
1548	0.340	1565/1/3	0.258
1549	0.084	1565/3	1.000
1550	0.648	1566	1.815
1551	0.154	1620	0.101
1538	0.200	1621/1/2	1.000
1543	0.405	1621/1/3	0.380
1552/2, 1553/2/2	1.325	1622/1/1	0.380
1557	0.825	कुल योग . .	<u>45.237</u>
1558	3.000		
1559	3.796	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—डोब	
1561/1	0.476	तालाब योजना के बांध निर्माण हेतु.	
1562/3	0.625	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय	
1561/2	0.475	अधिकारी (राजस्व) खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन	
1562/1	0.874	अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा	
1562/2	0.751	सकता है.	
1563/1	0.232		
1563/2	0.216	राजगढ़, दिनांक 18 मार्च, 2013	
1564/2	0.334		
1576/1	1.047	क्र. 2806-07-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
1577/1	1.128	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
1576/2	1.275	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन	
1577/2	0.470	(बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि) के लिये	
1578	0.372	आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्	
1588	0.607	1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है	
1580	2.792	कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
1581	1.255		
1582	2.003	अनुसूची	
1584	1.215	(1) भूमि का वर्णन—	
1589	0.628	(क) जिला—राजगढ़	
1570	0.425	(ख) तहसील—ब्यावरा	
1572/1	0.227	(ग) ग्राम—बांकपुरा एवं कालाकोट	
1574/1	0.415	(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.050 हेक्टेयर.	
1575/1	0.130	सर्वे नम्बर	रकबा
1572/2, 1573,	0.334		(हेक्टेयर में)
1574/2, 1575/2	0.000	(1)	(2)
1594/2, 1594/3	0.101	ग्राम—बांकपुरा	
1595	0.202	193	0.864
1565/2	1.000	210/2	0.900
1596/1	0.251	199	0.940

(1)	(2)
204/3/2	0.126
200	0.911
204/3/1	0.126
197/1	0.106
197/2	0.125
204/1	1.011
273/204	0.063
204/4	0.152
205/2	0.132
210/1	0.901
198	0.246
204/2/1	1.265
204/2/2	1.264
196/2	0.202
योग . .	<u>9.334</u>

ग्राम—कालाकोट

3/10	0.732
3/14	0.330
3/13	2.130
3/1	0.506
57/1	0.025
1/2	0.379
64/3/3	0.601
55/3	0.400
53/1	0.051
52/1	0.400
63/1	0.300
64/3/1	0.395
64/3/2/1	0.142
64/3/2/2	0.253
3/8	1.012
3/6	0.200
3/5	1.960
12/12	0.900
योग . .	<u>10.716</u>
महायोग . .	<u>20.050</u>

क्र. 2810-11-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) नगर/ग्राम—पीलबे, बंजारी, चाठा, मोया, चमारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.829 हेक्टर.

सर्वे नम्बर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम—पीपलबे

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बांकपुरा तालाब के परिवर्तित वेस्टवियर में प्रभावित भूमि हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

46/2	0.570
45/1	0.330
45/2	0.330
44	0.120
27	0.350
49	0.320
73	0.380
74	0.443
52/1	0.060
52/2	0.065
50	1.300
76	0.240
79	0.100
393/46	0.107
47	0.170
51	0.750
46/7/1	0.390
46/7/4	0.300
46/7/2	0.300
46/7/5	0.300
46/7/3	0.350
46/7/6	0.330

योग . . 7.841

(1)	(2)	(1)	(2)
	ग्राम—बंजारी	341/2	0.030
565/4	0.050	342/2	0.300
564/4	0.240	342/1/3	0.300
565/1	0.070	342/1/1	0.010
566/1	0.070	342/1/2	0.595
565/3	0.030	346/2	0.010
566/3	0.160	347/1/1	0.010
564/2	0.080	347/1/2/2	0.260
565/2	0.240	348/1/2	0.020
566/2	0.155	348/2	0.171
563	0.300	357/2	0.130
570	0.170	357/3	0.090
571/1	0.700	347/1/2/1	0.245
630/496	0.400	347/2/1	0.285
496/1/4	0.164	357/1/1	0.013
578/1	1.220	357/1/2	0.440
631/581	0.660	358/1	0.010
581/1	0.540		योग . . . <u>6.877</u>
614/1	0.160		ग्राम—मोया
614/2	0.290		
613/1	0.260	295	0.051
613/2	0.120	296	0.610
620	0.380	392/304	0.013
621	0.130	34/2/1	0.300
609	0.230	40/1/1	0.150
622/1	0.013	40/1/2	0.200
610	0.060	297	0.030
608/2	0.265	299	0.180
	योग . . . <u>7.157</u>	301	0.210
ग्राम—चाठा		293/2	0.720
287	0.440	302/1	0.415
286	0.160	302/2	0.390
290/2	0.190	302/3	0.013
290/1	0.540	40/2	0.220
311	0.260	43/1	0.210
291/2	0.030	42	0.160
303/1	0.825	41/1/1/1	0.040
320	0.510	41/2/1	0.150
314	0.095	43/2	0.030
310	0.720	41/2/2	0.180
306	0.114	44/4	0.050
308	0.030		योग . . . <u>4.322</u>
312	0.044		

(1)	(2)	(ग) ग्राम—मेहराजपुरा	(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—00.646 हेक्टर.
ग्राम—चमारी		खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
24/1	0.210	(1)	(2)
24/2	0.180	292/14	0.065
23	0.126	292/16	0.310
26	0.013	292/60	0.036
9/4	0.440	292/67	0.235
9/3	0.045	योग . .	<u>0.646</u>
270/10/1	0.360		
13/2	0.220		
14/1/2, 14/1/1	0.310	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कटारमल जी तालाब की पाल, वेस्टवियर निर्माण हेतु.	
17/1	0.310	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	
17/2	0.840		
174	0.510		
19/1	0.155		
175/1	0.160		
175/2	0.450		
25	0.090		
270/10/2	0.038		
270/10/3	0.175		
योग . .	<u>4.632</u>		
महायोग . .	<u>30.829</u>		

क्र. 3279-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन, ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 25 मार्च, 2013

क्र. 3277-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि

- (क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—करनपुरा, बीजपड़ी, चमारी, लसुड़ली
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—1.650 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—करनपुरा

11	0.120
योग . .	<u>0.120</u>

ग्राम—बीजपड़ी

17/1	0.030
योग . .	<u>0.030</u>

(1)	(2)
ग्राम—चमारी	
71/1	0.120
118	0.050
134	0.200
137	0.050
योग . .	<u>0.420</u>

ग्राम—लसुड़ली	
369/4/2	0.060
221	0.030
225/1/3	0.050
225/1/4	0.050
187/2	0.100
164/2	0.070
165	0.050
157	0.200
31	0.050
29	0.100
25/3	0.040
75	0.040
10	0.080
77	0.050
369/4/3	0.070
369/4/1	0.020
226/3	0.020
योग . .	<u>1.080</u>
महायोग . .	<u>1.650</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पाड़ल्याखेड़ी तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3281-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन—अशासकीय भूमि
(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—खिलचीपुर
(ग) ग्राम—गुमानीपुरा, अम्बावता, हालाहेड़ी व कछोटिया
(घ) भूमि का कुल क्षेत्रफल—01.752हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)

ग्राम—गुमानीपुरा

2	0.054
23/18	0.320
23/40	0.280
23/93	0.020
योग . .	<u>0.674</u>

ग्राम—अम्बावता

660/5/6	0.144
660/5/7	0.199
660/5/10	0.136
660/5/11	0.290
योग . .	<u>0.759</u>

ग्राम—हालाहेड़ी

294/1/2	0.010
योग . .	<u>0.010</u>

ग्राम—कछोटिया

932	0.169
934/1	0.055
934/2	0.055
930/4	0.030
योग . .	<u>0.309</u>
महायोग . .	<u>1.752</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—पानखेड़ी तालाब के बांध एवं वेस्टवियर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर-जीरापुर एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर-जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 18 मार्च 2013

क्र. 612-भू-अर्जन-देपालपुर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम—छोटी कलमेर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.566 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
421 पैकी	0.222
423/3 पैकी	0.344
योग . .	<u>0.566</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम छोटी कलमेर (चांदेर) के समीप देपालपुर केसूर मार्ग के किलोमीटर 9/6 पर निर्माणाधीन उच्च स्तरीय चंबल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बाबद्.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन शाखा अनुभाग, देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

महू, दिनांक 25 मार्च 2013

क्र. 219-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—(महू) डॉ. अम्बेडकर नगर
(ग) ग्राम—भेरूघाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.480 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1 पार्ट	0.480
योग . .	<u>0.480</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह, जिला-खरगोन (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 2392-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—उमरेठ	(1)	(2)
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-छावडीकला, प.ह.नं.-22, ब.नं.-174, रा.नि. मंडल-उमरेठ.	67/2	0.040
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.560 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	69/1	0.040
	67/3	0.012
	104/3	0.056
	104/4	0.036
	95/1	0.016
	95/2	0.016
प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)	योग . . . 01.560
12/6	0.020	(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
109/3	0.028	(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
27/1	0.121	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
12/9	0.020	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
12/10	0.020	
109/2	0.024	
109/1	0.024	
18/5	0.020	
108	0.105	
18/3	0.032	
24/1	0.008	
107/6	0.020	
20/1	0.020	
107/7	0.016	
20/2	0.061	
107/8	0.016	
20/3	0.016	
107/9	0.020	
26	0.032	
102/4	0.036	
96/1	0.028	
96/2	0.020	
9	0.020	
29/2	0.028	
29/1	0.052	
30/1	0.060	
30/3	0.040	
30/2	0.089	
30/4	0.052	
85	0.024	
67/1	0.052	
73/1	0.060	
73/2	0.036	
72/1	0.040	
72/2	0.048	
69/2	0.036	

क्र. 2393-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

- (ख) तहसील—उमरेठ
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—छावडीखुर्द, प.ह.नं.-21, ब.नं.-175, रा.नि. मंडल-उमरेठ.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—0.590 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
23/1	0.012
36/1	0.121
36/2	0.020
26/2	0.020
27/4	0.040
28/2	0.121
32/2	0.040
32/1	0.032
31/4	0.032
31/3	0.016
31/2	0.024
31/1	0.040 कच्चा मकान
53	0.072
योग . .	0.590

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2394-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 के अन्तर्गत अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. अतः इस प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17(1) एवं 17(4) के प्रावधान लागू होते हैं :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—उमरेठ
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-उमरेठ, प.ह.नं.-05, ब.नं.-32, रा.नि. मंडल-उमरेठ.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.012 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
711	0.105 आम वृक्ष 1
736	0.048 आम वृक्ष 1
706	0.214 जामुन वृक्ष 1
738	0.182 आम वृक्ष 5
753	0.024
755	0.024
694/1	0.032 महुआ वृक्ष 1
757/2	0.024
687	0.182
685	0.040
764/4	0.089
764/5	0.048
योग . .	01.012

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.	(1) 214/5 214/4 220/4	(2) 0.954 1.011 2.043
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	220/2 218/2 217/2 210/4 212/1	0.400 0.091 0.405 0.315 0.080
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	220/1 220/5 220/3 218/1 217/1 288/2 291/1 290 291/2 296/1 294 296/2 296/3 352/1 352/2 352/3	0.975 1.449 0.050 0.091 0.408 0.575 0.400 2.193 1.759 2.816 0.200 1.100 0.350 0.170 0.283 0.105
छिन्दवाड़ा, दिनांक 25 मार्च 2013		
क्र. 2631-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—छिन्दवाड़ा	353/11	0.220
(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा	359/10, 358/10	0.162
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-धमनिया, प.ह.नं.-38, ब.नं.-281, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1	358/11, 359/11	0.202
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—32.944 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	353/10	0.220
प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	
(1)	(2)	
214/6	0.810	0.121
214/3	1.214	0.161
214/1	2.307	0.263
214/2	1.012	0.243
214/7	0.810	0.263

(1)	(2)	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-																																																								
358/1, 359/1	0.242	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—छिन्दवाड़ा</p> <p>(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा</p> <p>(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-शहपुरा, प.ह.नं.-58, ब.नं.-533, रा.नि. मंडल-छिन्दवाड़ा-1</p> <p>(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—59.505 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>प्रस्तावित खसरा नंबर</th> <th>प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3/1</td><td>1.505</td></tr> <tr><td>3/2</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>3/3</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>5/3</td><td>1.214</td></tr> <tr><td>3/4</td><td>0.404</td></tr> <tr><td>5/1</td><td>0.338</td></tr> <tr><td>5/2</td><td>1.214</td></tr> <tr><td>13/2</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>6/2</td><td>1.543</td></tr> <tr><td>5/4</td><td>0.331</td></tr> <tr><td>6/5</td><td>0.101</td></tr> <tr><td>14/7</td><td>1.644</td></tr> <tr><td>6/1</td><td>0.076</td></tr> <tr><td>6/3</td><td>0.809</td></tr> <tr><td>13/5</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>14/1</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>14/10</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>6/4</td><td>0.668</td></tr> <tr><td>7</td><td>1.748</td></tr> <tr><td>13/1</td><td>0.405</td></tr> <tr><td>9</td><td>2.023</td></tr> <tr><td>10</td><td>0.166</td></tr> <tr><td>13/3</td><td>1.012</td></tr> <tr><td>13/4</td><td>1.708</td></tr> <tr><td>12/1</td><td>0.607</td></tr> <tr><td>12/2</td><td>2.428</td></tr> </tbody> </table>	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	3/1	1.505	3/2	0.405	3/3	0.405	5/3	1.214	3/4	0.404	5/1	0.338	5/2	1.214	13/2	0.405	6/2	1.543	5/4	0.331	6/5	0.101	14/7	1.644	6/1	0.076	6/3	0.809	13/5	0.405	14/1	0.405	14/10	0.405	6/4	0.668	7	1.748	13/1	0.405	9	2.023	10	0.166	13/3	1.012	13/4	1.708	12/1	0.607	12/2	2.428
प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)																																																									
(1)	(2)																																																									
3/1	1.505																																																									
3/2	0.405																																																									
3/3	0.405																																																									
5/3	1.214																																																									
3/4	0.404																																																									
5/1	0.338																																																									
5/2	1.214																																																									
13/2	0.405																																																									
6/2	1.543																																																									
5/4	0.331																																																									
6/5	0.101																																																									
14/7	1.644																																																									
6/1	0.076																																																									
6/3	0.809																																																									
13/5	0.405																																																									
14/1	0.405																																																									
14/10	0.405																																																									
6/4	0.668																																																									
7	1.748																																																									
13/1	0.405																																																									
9	2.023																																																									
10	0.166																																																									
13/3	1.012																																																									
13/4	1.708																																																									
12/1	0.607																																																									
12/2	2.428																																																									
353/3	0.263																																																									
358/3, 359/3	0.243																																																									
353/2	0.250																																																									
358/2, 359/2	0.041																																																									
353/5	0.250																																																									
357/1	0.400																																																									
362	0.567																																																									
357/2	0.005																																																									
358/6, 359/6	0.162																																																									
373/1	0.680																																																									
364	0.648																																																									
207/1	0.031																																																									
207/4	0.050																																																									
207/6	0.115																																																									
207/8	0.115																																																									
207/2	0.580																																																									
207/7	0.576																																																									
371	0.130																																																									
योग . .	<u>32.944</u>																																																									
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.																																																										
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.																																																										
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.																																																										
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.																																																										
क्र. 2632-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में																																																										

(1)	(2)	(1)	(2)
12/3	1.214	155/1	0.016
12/4	0.607	155/3	0.044
13/6	0.809	202/1	0.096
13/7	0.202	239/1	0.106
13/8	0.405	155/2	0.032
14/6	1.619	158	0.048
14/2	0.405	155/4	0.018
14/3	0.063	157	0.068
14/4	1.214	155/5	0.034
14/5	0.720	163/2, 164/2	0.125
14/8	0.829	165	1.000
14/9	0.833	177	0.360
14/11	0.809	166/1	0.400
15	2.205	166/2	3.594
16	2.205	176	2.059
17/3	0.971	167/1	0.263
17/4	0.971	167/2	0.263
17/1	0.740	167/3	0.526
17/2	1.538	169/1	0.610
17/5	0.405	169/2	0.300
18/1	0.180	169/3	0.300
19/2	0.066	171	0.336
18/3	0.080	173/1	0.089
159	0.096	175/1	0.273
18/4	0.048	173/2	0.089
19/1	0.024	173/5	0.089
22/1	0.096	175/2	0.170
22/6	0.136	173/3	0.089
22/5	0.136	175/3	0.176
22/7	0.010	173/4	0.089
26/1	0.021	175/5	0.273
27/1	1.106	175/4	0.269
26/2	0.121	182/1	0.120
26/3	0.049	185	0.034
27/2	0.474	186/1	0.120
27/3	0.546	220/4	0.072
28/2	0.008	232/2	0.015
168/1	0.304	235/1	0.192
28/3	0.108	239/2	0.130
28/4	0.004	286/1	0.024
168/2	0.304	293/5	0.034
36	0.684	293/7	0.038
38	0.100	293/8	0.044
79	0.072	293/9	0.048
84/6	0.264	295/1	0.058

(1)	(2)
295/2	0.058
295/3	0.053
304/2	0.086
योग . .	<u>59.505</u>

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सत्तीधार जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कन्हरगांव, नहर उप संभाग क्रमांक-2, छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 25 मार्च 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—सतना

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —0.730 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/2	0.130
16	0.040
17	0.370
18	0.150
20	0.040
योग . .	<u>0.730</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—बसारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.590 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
2833/1	0.050
2833/2	0.130
2833/3	0.380
2835	0.030
2846	0.020
2847	0.200
2848	0.260
2849	0.120

(1)	(2)	(1)	(2)
2854	0.265	873/1	0.490
2855/3	0.055	874/2	3.683
2855/4/1	0.025	874/3	3.683
2855/1	0.025	874/4	0.403
2855/5	0.030		
	योग . . . 1.590		योग . . . 19.786

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—बरेठी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —19.786 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
75/4	0.362
651/5	0.789
651/6	0.789
651/7	0.789
718/2	2.023
808/1/1	1.166
808/1/2	0.325
808/2/2	0.080
808/2/1	1.412
809/1	1.896
809/2	1.896

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) ग्राम—सांदनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.500 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण में भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टर में)
(1)	(2)
252/1	0.500
1085/1	2.000
	योग . . . 2.500

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—6×660 मेगावाट विद्युत् परियोजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 576-प्र.क्र. 9-अ-82-2012-13-1571.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—अमझोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.171 हेक्टर.

ग्राम—अमझोर, पटवारी हल्का अमझोर नम्बर 85

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2	1.558
7	0.613
कुल योग . .	<u>2.171</u>

(2) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—धनेहरा (बीरान)

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.717 हेक्टर.

ग्राम—धनेहरा (बीरान) पटवारी हल्का झारा नम्बर 83

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15	0.174
21	0.061
22	0.109
23	0.478
26	0.397
29	0.134
30	0.061
33	0.170
36	0.162
37	0.186

(1)

(2)

38 0.020

39 0.368

40 0.328

42 0.049

47 0.049

50 0.295

56 0.239

58 0.069

16 0.216

17 0.377

24 0.129

25 0.255

34 0.372

35 0.182

48 0.178

49 0.012

52 0.069

53 0.065

54 0.061

32/1 0.137

19/2 0.091

32/2 0.065

44 0.024

45 0.162

46 0.091

55 0.227

57 0.069

19/3 0.091

27 0.028

28 0.376

19/1 0.091

कुल योग . . 6.717

(3) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—जयसिंहनगर

(ग) ग्राम—दरौड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.223 हेक्टर.

ग्राम—दरौड़ी पटवारी हल्का झारा नम्बर 83

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
94	0.165

(1)	(2)	(1)	(2)
96	0.150	61	0.198
95	0.146	39	0.028
97/1	0.202	41	0.077
98	0.662	42	0.514
99	0.898	43	0.089
कुल योग . .	<u>2.223</u>	54	0.263
(4) भूमि का वर्णन—		55/1	0.688
(क) जिला—शहडोल		343/2ख	0.036
(ख) तहसील—जयसिंहनगर		91	0.049
(ग) ग्राम—आमाझिरिया		343/2क	0.032
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.628 हेक्टर.		64	0.178
ग्राम—आमाझिरिया, पटवारी हल्का बड़काडोल नम्बर 82		66	0.109
खसरा	रकबा	343/1	0.101
नम्बर	(हेक्टर में)	74	0.126
(1)	(2)	89	0.121
27/4ख	0.405	343/8	0.123
27/4ग	0.405	341	0.128
30	0.462	349/1ख	0.129
31	0.235	349/3/1	0.101
35	0.518	55/2	0.405
32	1.833	48	0.223
51	0.494	47/3	0.109
57	0.388	47/4	0.109
37	0.101	343/2ग	0.049
59	0.028	344/2क	0.036
38	0.356	62	0.065
47/2	0.809	275	0.101
33/2	0.223	144/2	0.126
33/3	0.222	345/2	0.107
40	0.239	88	0.123
34	0.809	92	0.085
36	0.214	346/2	0.125
47/5	0.243	342	0.057
56	0.340	349/2	0.129
33/1	0.223		
53	0.142	कुल योग . .	<u>13.628</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आमाझिरिया जलाशय योजना निर्माण से प्रभावित ग्राम अमझोर की रकबा 2.171 हे. ग्राम धनेहरा (बीरान) की रकबा 6.717 हे. ग्राम दरौड़ी की रकबा 2.223 हे. एवं ग्राम आमाझिरिया की रकबा 13.628 हे. निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 14 मार्च 2013

क्र. 693-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) नगर/ग्राम—गोरइया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—01.456 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	निजी भूमि (अ) हे.	शासकीय भूमि (ब) हे.
(1)	(2)	(3)
84	0.048	—
133	0.056	—
135	0.092	—
140	—	0.096
196	0.129	—
199	0.095	—
200	0.106	—
204	0.040	—
232	0.317	—

(1)	(2)	(3)
913	0.018	—
102	0.015	—
118	0.159	—
134	0.170	—
158	0.115	—
योग . .	1.360	0.096
महायोग . . (अ+ब)		1.456

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 695-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) नगर/ग्राम—जोकिहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.220 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
170	0.220
कुल योग . .	0.220

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 697-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
604	0.043
कुल योग . .	0.043

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. 717-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1506	0.064
कुल योग . .	0.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 719-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत जिसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
586	0.008
योग . .	0.008

अशासकीय

(1)	(2)
586	0.008
योग . .	0.008

शासकीय

561	0.036
योग . .	0.036
कुल योग . .	0.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 18 मार्च 2013

प्र. क-03-82-वर्ष-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
 (ख) तहसील—बटियागढ़
 (ग) नगर/ग्राम—केरबना, गूगराकलां, कैथोरा, पथरिया, तिंदुआ, सैडारा, कुम्हरवार, शेखपुरा, बटियागढ़खास, बसिया, सरिया.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—27.144 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—केरबना	
12 में से	0.204
33 में से	0.115
योग . .	<u>0.319</u>

ग्राम—गूगराकलां

756 में से	0.200
755 में से	0.180
758/3 में से	0.080
758/2 में से	0.080
758/4 में से	0.080
758/5 में से	0.120
758/6 में से	0.080
786 में से	0.600
787/1 में से	0.210
789 में से	0.050
योग . .	<u>1.680</u>

ग्राम—कैथोरा

2 में से	0.020
3 में से	0.250
47 में से	0.350
65 में से	0.010
66 में से	0.380
64/2 में से	0.050

(1)	(2)
67/1 में से	0.220
67/2 में से	0.220
68/4 में से	0.080
96 में से	0.001
97 में से	0.130
98 में से	0.008
99 में से	0.005
105 में से	0.130
110/1 में से	0.070
110/2 में से	0.070
114/2 में से	0.160
114/3 में से	0.060
114/4 में से	0.060
114/5 में से	0.300
114/6 में से	0.220
114/8 में से	0.300
114/9 में से	0.120
114/14 में से	0.040
योग . .	<u>3.254</u>

ग्राम—पथरिया

87/1 में से	0.020
87/2 में से	0.020
86 में से	0.120
31/1 में से	0.070
31/2 में से	0.080
31/3 में से	0.080
32 में से	0.004
85/1 में से	0.110
85/2 में से	0.230
84 में से	0.050
83 में से	0.040
82 में से	0.005
78 में से	0.218
75/1 में से	0.320
75/2 में से	0.320
71 में से	0.320
65/1 में से	0.080
65/2 में से	0.090
64/1 में से	0.150
64/2 में से	0.070
64/3 में से	0.070
63/1 में से	0.004

(1)	(2)	(1)	(2)
734 में से	0.013	1108/3 में से	0.080
733 में से	0.191	1108/2 में से	0.070
731 में से	0.010	1108/1 में से	0.080
732 में से	0.126	1101/2 में से	0.050
728/1 में से	0.040	1101/1 में से	0.152
728/2 में से	0.040	1101/3 में से	0.020
728/3 में से	0.060	1100 में से	0.092
726 में से	0.046	1098 में से	0.328
724 में से	0.152	1097 में से	0.084
723/1 में से	0.120	1085 में से	0.156
723/2 में से	0.060	1084 में से	0.196
721 में से	0.080	1089/3 में से	0.030
720 में से	0.064	1089/2 में से	0.064
718 में से	0.041	1089/1 में से	0.030
717 में से	0.036	1091 में से	0.136
656/2 में से	0.020	1090/2 में से	0.700
656/1 में से	0.130	1090/1 में से	0.076
652/1 में से	0.160	613 में से	0.198
652/2 में से	0.070	612/6 में से	0.068
652/3 में से	0.070	612/8 में से	0.017
540 में से	0.206	612/4 में से	0.040
537 में से	0.022	612/5 में से	0.016
536 में से	0.040	612/2 में से	0.040
80 में से	0.176	612/7 में से	0.016
78 में से	0.092	612/1 में से	0.066
77 में से	0.068	612/3 में से	0.017
54 में से	0.040	610/4 में से	0.040
53 में से	0.020	610/3 में से	0.066
52/2 में से	0.020	610/2 में से	0.040
52/3 में से	0.120	610/1 में से	0.050
52/4 में से	0.030	609 में से	0.096
51 में से	0.064	1170 में से	0.260
49/1 में से	0.034	1171 में से	0.068
49/2 में से	0.030	1172 में से	0.003
45 में से	0.046	1175 में से	0.216
43 में से	0.150	1189 में से	0.016
42 में से	0.103	1190/1 में से	0.096
41 में से	0.145	1190/3 में से	0.120
744 में से	0.232	1190/4 में से	0.120
1111 में से	0.005	1191/1 में से	0.200
1110/2 में से	0.150	1194 में से	0.056
1110/1 में से	0.150	1191/2 में से	0.120
1109/2 में से	0.034	1195 में से	0.064
1109/1 में से	0.030	1196 में से	0.084

(1)	(2)	(1)	(2)
541 में से	0.170	223/1 में से	0.130
542 में से	0.110	223/2 में से	0.130
525/1 में से	0.110	226/1 में से	0.110
525/2 में से	0.100	237 में से	0.110
524 में से	0.080	236 में से	0.120
523/1 में से	0.035	239/1 में से	0.120
523/2 में से	0.035	240 में से	0.220
543 में से	0.003	241 में से	0.008
544 में से	0.030	190/1 में से	0.100
546 में से	0.005	योग . .	<u>2.390</u>
521/1 में से	0.050	ग्राम—सरिया	
521/2 में से	0.050	432 में से	0.023
571 में से	0.004	433 में से	0.180
477/1 में से	0.080	434 में से	0.030
478/2 से 11 में से	0.104	438 में से	0.240
572/1 में से	0.030	439/1, 2 में से	0.224
573/3 में से	0.030	475 में से	0.128
573 में से	0.080	477 में से	0.050
574 में से	0.080	476 में से	0.064
575 में से	0.080	478/1 में से	0.160
योग . .	<u>9.737</u>	478/2 में से	0.040
ग्राम—बसिया		479 में से	0.048
174/1 में से	0.080	480 में से	0.048
174/2 में से	0.040	योग . .	<u>1.187</u>
172 में से	0.001	केरबना	0.319
173 में से	0.036	गूगर कला	1.680
175/1 में से	0.029	कैथोरा	3.254
193 में से	0.028	पथरिया	3.111
192 में से	0.248	तिन्दुआ	0.776
206 में से	0.007	सैडारा	2.552
191/1 में से	0.084	कुम्हरवार	1.275
190/2 में से	0.060	शेखपुरा	0.863
189/1 में से	0.080	बटियागढ खास	9.737
189/2 में से	0.080	बसिया	2.390
188 में से	0.036	सरिया	1.187
187 में से	0.060	महायोग . .	<u>27.144</u>
185 में से	0.054	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर परियोजना के बायीं तट नहर निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.	
186 में से	0.054	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
229 में से	0.126		
222/1 में से	0.140		
222/2 में से	0.080		
228 में से	0.019		

- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 सागर म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-वर्ष 2011-2012-संशोधन.—कार्यालयीन पत्र दिनांक 24 अगस्त 2012 से ग्राम वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह का खसरा नम्बर 1554 एवं 1555 भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा, प्रयोजन, वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल निर्माण में प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1, दिनांक 7 सितम्बर 2012 के पृष्ठ क्रमांक 3341 पर तथा समाचार पत्र आचरण सागर, दिनांक 2 सितम्बर 2012, दैनिक समाचार पत्र स्वदेश भोपाल 2 सितम्बर 2012 को हुआ है. जिनका जो नंबर 19289/12 है. उक्त प्रकाशन में खसरा क्रमांक 1454, 1455 के स्थान पर 1554, 1555 प्रकाशित हो गया है, अतः निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

संशोधित उद्घोषणा

ग्राम—वर्धा, तहसील हटा, जिला दमोह	
पूर्व में प्रकाशित	संशोधित प्रविष्टि
खसरा नंबर	खसरा नंबर
(1)	(2)
1554	1454
1555	1455

शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेगीं.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—वर्धा जैतपुर मार्ग के वरैया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. 291-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—बड़वाह
(ग) ग्राम—गोराडिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.445 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
174/3	0.154
183/1	0.142
218	0.053
221/3	0.053
223/1	0.032
223/4	0.081
226	0.028
228	0.134
229	0.113
233/1	0.070
233/2	0.084
235/9	0.109
237/5	0.069
239	0.065
240/1	0.032
241/1	0.105
244/3	0.020
244/4	0.069
244/5	0.032
	<u>योग. . 1.445</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हीरापुर-चितावद मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यो हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. 310-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—बिरूल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.820 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
193/1/1	0.243
193/2/1	0.577
योग .	0.820

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 312-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—महेश्वर
(ग) ग्राम—बड़वेल्
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.370 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
201/2	0.200
204/1/1	0.320
204/1/2	0.850
योग .	1.370

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 21 मार्च 2013

क्र. भू-अर्जन-15(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

(1)

(2)

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—बिरसा, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—200.81 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

2	0.20
3	0.51
4	0.33
8	0.36
9/1	0.22
9/2	0.15
9/3	0.09
10/1	0.60
10/2	0.66
10/3	0.25
11/1	0.52
11/2	0.52
11/3	1.05
12/1	1.69
85/1	0.45
12/2	1.40
12/3	1.70
13	0.30
14	0.44
15	1.33
16	0.01
17	0.01
57	0.37
75	1.08
21	0.25
22	0.30
23	0.62
24	0.73
25	1.60
26	0.18
28	0.38

29

0.17

33/1

0.91

33/2

0.40

40

1.54

41

0.15

34

0.27

35

0.52

36

0.52

37

0.70

38

0.83

39

1.23

42

0.38

43

0.29

44

0.04

45

0.38

46

0.24

47

0.91

48

1.00

49

0.52

54

0.31

58

0.95

60

0.36

65

0.16

66

1.41

67

0.58

68/1

0.30

68/2

0.30

68/3

0.20

72

0.98

73

0.07

76

0.58

77

0.59

78

1.95

85/2

0.45

86

0.28

87

0.47

90

0.71

92

0.63

149/1

0.40

149/2

0.40

204/1

0.12

204/2

0.14

204/3

0.28

204/4

0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
209/1	0.10	130	0.93
209/2	0.10	131	1.10
209/3	0.13	225	0.12
93	1.16	132	1.59
96	0.87	133	1.02
97	1.14	171	0.07
101	1.55	169	0.32
104	1.27	134	0.93
111	3.28	166	0.71
114	0.79	248	0.30
116/1	0.52	135	0.66
116/2	0.24	136	0.58
116/3	0.25	247	1.48
116/4	0.13	137	1.50
116/5	0.38	141/1	0.12
7	0.42	141/2	0.40
1	2.46	172/2	0.04
216	0.11	148	1.22
80/456	0.58	150	0.08
34/457	0.26	153	1.76
117	0.82	156	0.90
177/2	0.40	389	0.17
118	0.48	152/1	2.00
119	0.22	154/2	0.35
120	0.40	155	1.19
121/1		157	0.39
121/2	1.24	395	0.30
121/3		408	0.50
152/2	1.00	410	0.76
154/1	1.00	158	0.24
122	0.76	159	1.32
123/1	0.88	249	0.30
231	0.01	160	0.25
123/2	0.94	161	0.78
124	0.41	162	0.62
185/2	0.12	163	0.75
125	0.38	164	0.61
128	0.67	168	0.06
126	0.22	396	0.10
394	1.02	165/1	0.01
398	0.52	390	0.06
127	0.48	165/2	0.50
129	0.63	167	0.76
195	0.40	170/1	0.64

(1)	(2)	(1)	(2)
192	0.31	228/1	0.20
170/2	0.16	228/3	0.83
172/1	0.10	253	0.28
173	0.64	228/2	0.80
176	1.47	228/4	0.30
174/1	0.38	228/5	0.05
174/2	0.38	230	0.14
177/1	1.68	232/1	0.30
177/3	0.17	232/2	
179	0.42	235	0.16
185/1	0.08	250/1	
185/3	0.66	250/2	
229	0.17	250/3	0.80
190/1	0.65	250/4	
190/2	0.33	251/1	0.75
191	7.80	251/2	0.34
193	0.51	252/2	0.40
194	1.24	252/1	0.57
200	0.56	254	1.20
196	0.37	256	2.07
197/2	0.16	283	1.27
202/1	0.20	257/2	0.07
197/1	0.36	267	0.28
199	0.26	269	0.10
397	1.62	258	0.15
208	0.13	259	0.48
202/2	0.20	260	0.71
205	0.67	261	0.44
202/3	0.15	262	1.63
211/1	0.57	263	0.29
211/2	0.95	265	0.21
212	0.52	266	1.10
214	2.55	268	0.12
217/1		271/1	1.29
217/2		271/2	
217/3	0.19	273	0.01
217/4		284	0.45
217/5		274	1.16
217/6		276	1.16
218/1	0.41	275	0.38
218/2		277	2.04
226	1.48	282	0.95
227	0.46	366	0.02
300	0.20	302	1.54

(1)	(2)	(1)	(2)
303	0.18	432/6	0.18
304	0.32	432/7	0.05
305	0.61	435	2.47
311	0.14	436	1.53
312/1		450	0.14
312/2	3.22	437	0.98
312/3		446	0.22
312/4		442	0.86
386		443	0.08
387	0.05	444	0.24
391	0.05	445	0.18
414	0.24	450/459	0.14
392	0.06	447	0.05
393/1	3.26	451	0.03
392/2		449	1.63
404/1	1.03	452	4.26
404/2		453/1	3.11
405	1.00	453/2	0.30
406	0.21	453/3	0.40
411	0.54	272/1	
412	0.42	272/2	
427	0.22	272/3	
413	0.41	272/4	
425	1.57	272/5	
415	0.88	272/6	
416/1	0.66	272/7	2.93
418	0.27	272/8	
448	2.67	272/9	
416/2	0.80	272/10	
416/3	0.52	272/11	
416/4	1.00	272/12	
416/5	1.95	272/13	
416/6	0.66		
434	0.34		
417	0.74		
419	1.05		
423	0.80		
429/1	0.30		
429/2	0.80		
432/1	0.14		
432/2	0.03		
432/3	0.12		
432/4	0.14		
432/5	0.14		
			योग . 200.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालान् सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-15(अ-82) 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)

में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला

(ख) तहसील—बिछिया

(ग) ग्राम—करंजिया, प.ह.नं. 28

(घ) लगभग क्षेत्रफल—48.58 हे.

खसरा नंबर

रकबा
(हेक्टर में)

(1)

(2)

192

1.02

193/1

1.60

193/2

0.40

194

0.66

195

0.35

198

0.59

196/1

0.17

196/2

0.33

196/3

0.25

196/4

0.35

197

1.28

240

0.23

199

2.26

200

0.05

202

0.14

203

0.12

219/1

0.64

219/2

0.06

263/2

0.07

205

1.17

221/1

0.39

221/2

0.15

221/3

0.27

221/4

0.08

221/5

0.17

221/6

0.15

221/7

0.07

222

1.65

223

1.54

224

0.78

225

0.96

226

0.16

230

1.45

234

0.62

(1)

(2)

235

0.09

237

0.16

254

0.38

227/1

0.10

227/2

0.09

227/3

0.26

227/4

0.23

227/5

0.60

227/6

0.31

227/7

0.52

239

0.11

229/1

0.18

229/2

0.32

231

0.12

232/3

0.19

243/1

0.02

245/1

0.06

247

0.17

248

0.13

249

0.23

250

0.16

257/1

0.07

267/1

0.13

232/1

0.06

232/2

0.16

233/1

0.38

238/1

1.00

233/2

0.37

338/2

0.68

236

0.42

241

1.10

242/2

0.16

242/1

0.04

253

0.03

243/2

0.10

245/2

0.06

251

0.41

257/2

0.18

267/2

0.05

244

0.12

255

0.18

259

0.40

246/1

0.16

246/2

0.18

246/3

0.19

252

0.40

256

0.05

258

0.13

(1)	(2)
269	0.17
265	0.36
268	0.30
263/1	0.41
266	0.17
189	0.18
191	0.07
567/1	1.20
567/2	
567/3	
567/4	
567/5	
568	0.12
569	3.67
570	0.18
573/1	0.37
571	0.30
574	0.28
572	0.19
573/2	0.36
575	0.40
576	1.34
579	2.07
583	0.02
584	0.70
585	1.95
586	1.95
योग .	<u>48.58</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—हालोन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर, मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 28-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-
अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो

गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—उलथन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.012 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/1ज	0.012
कुल . .	<u>0.012</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम पलोहाबड़ा से उलथन मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-
अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,
अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्
1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—बरांझ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.235 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
72/3	0.068
74	0.044
119/2	0.022
121/5	0.052
121/2	0.049
कुल . .	<u>0.235</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—टेकापार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.142 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
34/1, 34/2	0.073
35/2	0.045
44/1	0.032
45	0.036
31/1ख	0.045
48	0.038
49/1,2,3	0.041
50/2,3	0.016
51, 52	0.021
93/4	0.021
92/2, 93/2	0.030
92/1, 93/1	0.050
98	0.061
103	0.016
105	0.016
134/1क, 134/2क	0.006
134/1ख, 134/2ख, 135	0.093
134/1ग, 134/2ग	0.028
134/1घ, 134/2घ	0.020
123, 124, 125,	0.093
126/2, 133	
23, 24	0.032
25/7	0.024
25/8	0.020
25/3	0.008
28, 29	0.056
31/1ड	0.012

(1)	(2)
31/1घ	0.036
30	0.045
31/1ग	0.016
32/7	0.044
32/5	0.018
32/1	0.018
32/4	0.032
कुल . .	1.142

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 31-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—अजंसरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.994 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
154/1	0.030
154/2	0.060
156/1, 156/2	0.030
157/1, 157/2, 157/3	0.060
158	0.024
168/1, 170/2, 172, 173	0.200
168/3क, 168/3ग	0.060
168/4	0.120
182, 183/2ख, 183/2ग	0.060
168/5क	0.030
175/5, 183/6	0.140
183/3ग	0.020
183/3क	0.024
183/3घ	0.030
183/3ख	0.052
183/5क	0.024
171/2	0.030
कुल . .	0.994

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—खुलरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.498 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
480/1, 775/1	0.041
480/3, 775/3	0.016
480/6, 775/6, 779/2	0.125
775/9	0.058
780/1,2,3	0.029
774	0.050
772/3	0.012
771/3	0.008
772/1,2	0.021
771/2	0.008
771/1	0.034
491	0.050
492	0.016
493/2, 494/2, 495/2	0.030
कुल . . .	0.498

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम बरांझ से खुलरी मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन्

1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—लाखा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.421 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
80	0.170
83/1, 83/2, 84	0.052
85/1	0.020
54	0.060
55	0.025
61/1, 3	0.050
61/9	0.009
77/5	0.035
कुल . . .	0.421

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—नयागाँव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.320 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
221/1,	—
221/2	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
222/1	0.080	51/3	0.070
222/3	0.130	51/2	0.055
222/2	0.040	50/1, 51/1	0.100
कुल . .	0.320	48/1	0.060
		कुल . .	0.773

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82 वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 22-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—रहली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.773 हेक्टेयर.

ख. नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.090
62	0.035
63	0.020
148	—
149	0.004
53/2	0.004
58/1ख	0.045
58/1ग	0.040
60/1, 60/4, 60/5	0.012
60/2	0.014
43/2	0.040
61/1, 61/4	0.050
61/2, 61/3	0.028
48/3	0.045
64	0.006
65	0.003
66	0.006
67	0.014
68/2	0.024
68/3	0.008

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—ग्राम लाखा से रहली मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 22 मार्च 2013

प्र. क्र. 2-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2972.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—माली सिलपटी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—38
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.439 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.008
6	0.490
9	0.130
10/2	0.110
12/1	0.160
16/2	0.048
31/2	0.065
34	0.310
39	0.100

(1)	(2)
43/1	0.013
50/1	0.036
50/3	0.030
5	0.128
7	0.160
10/1	0.080
10/3	0.130
16/1	0.042
31/1	0.085
33	0.024
35	0.080
40	0.089
43/2	0.007
50/2	0.034
54/1	0.080

योग . . . 2.439

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2973.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—गौनापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.173 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
18/1	0.092
18/2	0.101
19	0.030

(1)	(2)
27/1	0.150
42	0.079
25/1	0.209
25/2	0.043
44	0.051
23	0.195
34	0.118
106/1	0.058
105	0.047

योग . . . 1.173

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2974.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—जामपानी
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—37
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.206 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नंबर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
59/2	0.089
63/1	0.074
63/3	0.073
66	0.071
71	0.090
69/1	0.048

(1)	(2)
69/2	0.042
130/1	0.066
131	0.042
132	0.039
136	0.039
137	0.045
139	0.253
160	0.141
182/2	0.090
189	0.077
190	0.064
191	0.058
192	0.058
187	0.096
193	0.055
195	0.051
197/1	0.093
197/2	0.103
197/3	0.090
209	0.259
योग . .	<u>2.206</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2975.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—सिलपटी

- (घ) पटवारी हल्का नम्बर—39
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.085 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
201/1	0.101
201/4	0.023
202/1	0.021
211/1	0.048
211/2	0.082
211/3	0.156
211/4	0.108
454	0.153
457	0.393
योग . .	<u>1.085</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2976.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—शाहपुर
(ग) नगर/ग्राम—मोखामाल
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—36
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.301 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
186	0.140
187/1	0.100
187/2	0.092

(1)	(2)	(1)	(2)
189	0.105	111/1	0.290
190	0.160	111/2	0.024
192	0.120	110	0.182
193	0.080	109	0.029
195	0.076	108	0.010
197/1	0.046	118/2	0.188
197/2	0.062	118/3	0.025
197/3	0.240	63	0.240
199/2	0.080	11/1	4.384
योग . . .	<u>1.301</u>	11/2	1.416
		11/3	0.606
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.		11/4	0.405
		11/5	2.023
		9	0.559
		8/1	0.485
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.		8/2	0.484
		8/3	0.484
		7/1	0.755
		7/2	0.445
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.		6	1.085
		2/1	1.288
		2/2	0.015
		2/3	0.025
प्र. क्र. 7-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2977.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		2/4	2.023
		18	1.983
		19/2	0.838
		20/1	1.109
		20/2	0.665
		21	0.995
		22/1	0.506
		22/2	0.505
		17	1.011
(1) भूमि का वर्णन—		16/1	0.931
(क) जिला—बैतूल		16/2	1.012
(ख) तहसील—शाहपुर		16/3	0.364
(ग) नगर/ग्राम—हरदू		15	1.486
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—40		14	0.534
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—61.428 हेक्टेयर.		13	0.737
खसरा	रकबा	23	0.882
नंबर	(हेक्टर में)	24	1.197
(1)	(2)	25	1.821
		26	2.104
91/1	0.070	27	0.316
91/2	0.218	28	0.276
92/1	0.480	31	0.111
116	0.288	32	0.255
113	0.192	34/1	0.500
112	0.176	34/2	0.069

(1)	(2)	(1)	(2)
93/3	0.102	32	0.192
94	0.691	35/1	0.072
98	0.176	35/2	0.063
102/2	0.301	35/3	0.020
102/1	0.230	35/4	0.108
19	0.040	34	0.060
104/1	0.735	36/1	0.048
91/1	0.754	39/2	0.062
91/2	0.547	37/2	0.105
91/3	0.070	39/4	0.059
91/4	0.228	36/3	0.014
93/1	0.700	39/5	0.060
93/3	1.806	45/4	0.086
93/4	1.012	45/5	0.006
93/5	0.405	40	0.052
100	2.359		योग . . 18.853
102/1	0.188		
103/1	0.953	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—मोखा रैं. जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.
103/2	0.952		
103/3	0.952		
82	0.089	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
94	0.192		
95	0.182		
96/1	0.100	(4)	भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
89/3	0.300		
89/4	0.073		
3/1	0.056		
3/3	0.089		
3/4	0.110		
5/1	0.182		
5/3	0.072		
18	0.032		
4	0.070		
20	0.190		
29	0.240		
28/2	0.024		
28/3	0.040		
28/5	0.028		

प्र. क्र. 9-अ-82-वर्ष 2011-2012-भू-अर्जन-2971.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल

(ख) तहसील—शाहपुर

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

Jabalpur, the 8th March 2013

No. 309-Confdl. 2013-II-3-1-2013.—Judicial Officers' Training & Research Institute, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting Induction Course (Final Phase) for the newly appointed Civil Judges of Class II from 2012 Batch from 1st April 2013 to 27th April 2013 in the Institute. Trainee Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Conditions for the course,—

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9:30 a. m. on 1st April 2013 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall bring with them one copy each of the following, if delivered/prepared during their Third Phase Practical Exercise:—
 - (i) Judgments in Civil and Criminal cases (preferably, contested);
 - (ii) Issues;
 - (iii) Charge;
 - (iv) Examination of accused;
 - (v) The notes prepared by them during Third Phase Practical Exercise; and
 - (vi) Notes prepared by them during programmes under the aegis of District Legal Services Authority, attended/ conducted by them.
5. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs, if provided by the High court.
6. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679) sufficiently in advance.
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception, lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4 participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute. The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam, A. G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participant's luggage to the parked vehicles.
9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.
10. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
SUBHASH KAKADE, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. 279-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री शम्भू दयाल दुबे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता), इंदौर वृत्त, इंदौर.	इंदौर	जबलपुर	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से.

नोट :— श्री शम्भू दयाल दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के पद पर रहते हुये निरीक्षण एवं सतर्कता प्रकोष्ठ, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर के साथ सम्बद्ध रहेंगे.

जबलपुर, दिनांक 11 मार्च 2013

क्र. 311-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री अखिल कुमार श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर.	नरसिंहपुर	जबलपुर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर की हैसियत से, श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर.
2.	श्री अशोक कुमार जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	इंदौर	जिला न्यायाधीश (निरीक्षण एवं सतर्कता) इंदौर वृत्त, इंदौर की हैसियत से, श्री शम्भूदयाल दुबे के स्थान पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C-2170-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 11 से 23 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 मार्च 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 24 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2172-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दो दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 से 3 जनवरी 2013 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2174-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 2 जनवरी 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-2176-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 29 दिसम्बर 2012 से 1 जनवरी 2013 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 1 जनवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-2180-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 11 से 15 दिसम्बर 2012 तक पांच दिन का अर्द्धवेतन अवकाश, अवकाश की पात्रता एवं नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्यामकुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2182-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 1 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उस दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2184-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 9 जनवरी 2013 का एक दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस.अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C-2240-दो-2-109-2006.— श्री पी.एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को शाजापुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2245-दो-2-32-2010.— श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 4 से 10 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-2247-दो-2-82-2006.— श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से 8 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह उपरोक्तानुसार, अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2249-दो-2-53-2009.— श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 14 से 16 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 13 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम.पी.एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2251-दो-2-3-2008.— श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2253-दो-2-5-2006.— श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

जबलपुर, दिनांक 14 मार्च, 2013

क्र. D-1237-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 15 से 17 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 12 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1239-दो-2-20-2011.—श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2012 से 09 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार चतुर्वेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2288-दो-2-18-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 21, 22 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2302-दो-2-37-2010.—श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 4 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जसवन्त सिंह क्षत्रिय, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवन्त क्षत्रिय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2304-दो-2-82-2006.—श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 7 से दिनांक 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश सिंह, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2306-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-2308-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 5 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2310-दो-2-51-2011.—श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 22 फरवरी 2013 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-2312-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. C-2314-दो-3-47-2003.—श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 से 14 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2318-दो-2-41-2000.—श्री ए. के. श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात् में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2327-दो-2-38-2010.—श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2329-दो-2-36-2008.—श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 21 से 24 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 से 27 जनवरी 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2340-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-2342-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 30 जनवरी से 4 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. C-2344-दो-3-93-86.—श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15 से 19 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20-1-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच.एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच.एन. बाजपेयी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2346-दो-3-226-86.—डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 11 से 20 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. मुहम्मद शमीम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. मुहम्मद शमीम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2348-दो-3-21-87.—श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2350-दो-2-28-2009.—श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 16 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2355-दो-3-34-99.—श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 12 से 14 फरवरी 2013 तक

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2357-दो-2-43-2011.—श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 28 से 30 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र महाजन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र महाजन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-1259-दो-2-53-2007.—श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 11 से 16 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 से 10 फरवरी 2013 तक के तथा पश्चात में दिनांक 17 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गोस्वामी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गोस्वामी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर दिनांक 19 मार्च 2013

क्र. C-2437-दो-2-5-2011.—श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 22 से 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2439-दो-3-47-2003.—श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 26 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिव नारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव नारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2441-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी 2013 से 2 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात में दिनांक 3 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-1373-दो-2-25-2012.—श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 11 से 13 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 एवं 10 फरवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री के. के. त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. के. त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 5 मार्च 2013

क्र. C-1977-दो-3-10-2012.—श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 21 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. जैन, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-1979-दो-2-57-12.—श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक.-1), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 मार्च 2013

क्र. C-2033-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 मार्च 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 मार्च 2013

क्र. C-2178-दो-2-34-2012.—श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 फरवरी 2013 से 2 मार्च 2013 तक चार दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 से 4 मार्च 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. श्रीवास्तव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. C-2242-दो-2-10-2006.—श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को दिनांक 18 से 22 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. परमार, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. परमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 मार्च 2013

क्र. D-1261-दो-2-37-2011.—श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 22 मार्च 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. व्ही. सिरपुरकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार

जबलपुर, दिनांक 7 मार्च 2013

क्र. ए-847-तीन-6-2-2012.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेपः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:—

सारणी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी	पदस्थापना का स्थान	राजस्व जिला
(1) (2)	(3)	(4)
1 श्री भूपेन्द्र नकवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
2 श्री मनीष भट्ट, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर

(1)	(2)	(3)	(4)
3	श्री महेश कुमार माली, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
4	श्री सुभाष सुनहरे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
5	श्री सज्जन सिंह सिसोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंदसौर.	मंदसौर	मंदसौर
6	श्री राजेन्द्र देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सीतामठ मंदसौर.	सीतामठ	मंदसौर
7	कु. सीता कनोजे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.	गरोठ	मंदसौर
8	श्री नीलेश यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गरोठ, मंदसौर.	गरोठ	मंदसौर
9	श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
10	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवनी.	सिवनी	सिवनी
11	श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
12	श्री महेन्द्र मांगोदिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बुरहानपुर.	बुरहानपुर	बुरहानपुर
13	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पन्ना.	पन्ना	पन्ना
14	श्री पंकज जायसवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पन्ना.	पन्ना	पन्ना

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
15	श्री हेमराज सनोडिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, नैनपुर, मंडला.	नैनपुर	मंडला	22	श्री विवेक कुमार पाठक, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़
16	श्री महेन्द्र कुमार उईके, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मंडला.	मंडला	मंडला	23	श्री उत्सव चतुर्वेदी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ओरछा, टीकमगढ़.	ओरछा	टीकमगढ़
17	श्री अजीत कुमार तिकी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, ब्यावरा, राजगढ़.	ब्यावरा	राजगढ़	24	श्रीमती बरखा दिनकर, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, निवाड़ी, टीकमगढ़.	निवाड़ी	टीकमगढ़
18	श्री तरुण सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	25	श्री अनिल चौहान, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
19	श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	26	श्री नीलेश कुमार जिरेती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
20	श्री गौरव प्रज्ञानन, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	27	श्री दिनेश देवड़ा, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा
21	श्री विपिन सिंह भदोरिया, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, टीकमगढ़.	टीकमगढ़	टीकमगढ़	28	श्री लक्ष्मण डोडवे, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, पू. नि. खंडवा.	खंडवा	खंडवा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार (डी.ई.).

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2013

फा.क्र. 2-वि.निर्वा.-2009-4-128-शुद्धि-पत्र.—मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 9, दिनांक 01 मार्च 2013 में प्रकाशित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का क्रमांक “82-MP-LA-(2/2009)-2012 दिनांक 05 फरवरी 2013” के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

“82/MP-LA/(2/2009)/2012 दिनांक 31 मई, 2012”

एस. एस. बंसल, अपर सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001
New Delhi, Dated 31st May 2012—
10 Jyaistha, 1934 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/Mp-LA/(2/2009)/2012.—In pursuance of sub-section of 2 (b) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgement/order of the Supreme Court of India in Civil Appeal No.-6336 of 2010, dated 22nd February 2012 against the judgement/order of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Bench dated 10th May 2010 in Election Petition No.2 of 2009 (Chandbhan Bhaiya, Appellant Vs. Shri Jayant Kumar and Others Respondents).

By Order,
Sd./-
(BERNARD JOHN)
Secretary,
Election Commission of India.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 30 मार्च 2013

क्र. 290-भू-अर्जन-हातोद-13.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—हातोद

(ग) नगर/ग्राम—पालाखेडी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—152.980 हेक्टर.

खसरा नंबर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

205/2 पैकी

0.130

211 पैकी

0.100

215 पैकी

0.648

232/2 पैकी

1.085

233/1/2/2/1

0.253

233/1/2/2/2

0.253

233/2 पैकी

1.669

234/2 पैकी

0.506

234/3

2.529

235/1

1.894

235/2

1.890

236/1 पैकी

1.274

236/2 पैकी

2.193

237/1

0.162

237/2

0.081

237/3

0.081

237/4

0.081

237/5

0.81

237/6

0.073

237/7

0.445

237/8

0.445

(1)

(2)

237/9

0.445

237/10

0.332

238/2 पैकी

0.345

238/3 पैकी

0.035

246/1 पैकी

0.332

246/2

2.704

247/2

4.300

205/1

0.086

247/3/1

0.677

247/3/2

0.253

247/4

0.587

247/5/1

0.338

247/5/2

0.245

247/6 पैकी

0.701

247/7

0.930

248/1

2.104

245 पैकी

0.130

244/1 पैकी

0.077

248/2

1.538

249/1

0.104

249/2

0.425

250/2 पैकी

0.545

250/1 पैकी

4.018

252/1/1

2.592

252/1/2/1

0.047

252/1/2/2

0.885

252/2

2.529

252/3

1.182

254/1 पैकी

0.607

254/2

0.235

255/1/1/1

0.113

255/1/1/2

0.150

255/1/2/1

0.292

255/1/2/2

0.101

256/2/1

0.276

256/2/2

0.154

256/2/3

0.085

257/1 पैकी

0.724

257/2/1

1.206

257/2/2

1.015

255/2

0.101

(1)	(2)	(1)	(2)
257/3/1	0.284	247/1/2	1.265
257/3/2	0.506	271/2/1 पैकी	1.942
256/1/1	0.012	271/2/2	2.501
256/1/2	0.012	271/2/3	0.028
258/1/1	1.113	285/1/1	0.698
258/1/2	1.113	285/1/2	0.061
258/1/3	1.113	285/2/1	0.253
258/1/4	1.113	285/2/2 पैकी	0.688
258/2	1.145	285/3/1	0.253
258/3	0.292	285/3/2/1	0.127
259/1	0.329	285/3/2/2	0.127
259/2	0.311	285/3/2/3	0.253
260	1.611	285/3/2/4	0.253
261	2.343	285/3/2/5 पैकी	0.040
262/1	1.117	285/5 पैकी	0.352
262/2	1.052	286/1/1/1/1	0.815
263/1	1.023	286/1/1/1/2	0.237
263/2/1	0.253	286/1/1/2/1	0.093
263/2/2	0.253	286/1/1/2/2	0.022
263/2/3	0.517	286/1/1/2/3	0.160
264 पैकी	1.385	286/1/1/3/1	0.106
266/3/2 पैकी	0.713	286/1/1/3/2	0.088
266/3/3	2.630	286/1/1/4	0.041
267 पैकी	1.909	286/1/2	1.955
268 पैकी	0.425	286/1/3/1/1	0.759
269 पैकी	1.627	286/1/3/1/2	0.127
270/1	0.200	286/1/3/1/3	0.094
270/2	0.100	286/1/3/2 पैकी	0.875
270/3	0.100	286/1/4 पैकी	0.100
270/4	0.200	286/2/1/1	0.170
270/5	0.200	286/2/2/2	0.166
270/6	0.200	286/2/3/1	0.170
270/7	0.200	286/2/1/2	0.363
270/8	0.100	286/2/2/1	0.366
270/9	0.200	286/2/3/2	0.363
270/10	0.123	286/2/4/1 पैकी	0.195
271/1/1/1	1.138	286/2/4/2 पैकी	0.018
271/1/1/2	0.370	286/2/5/2 पैकी	0.420
271/1/1/3	0.370	286/3/1	0.235
271/1/2	1.028	286/3/2	0.210
247/1/1	2.000	286/3/3	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
286/3/4	0.316	301/1/2 पैकी	0.190
286/3/5/1	0.563	303/2 पैकी	0.050
286/3/5/2	0.759	305 पैकी	0.850
286/3/6	0.304	306/1 पैकी	0.769
287/1	0.243	306/2	0.809
287/2	0.162	307/1	0.510
287/3	0.016	307/2	0.510
288/1/1/1/1	0.705	308	0.445
288/1/1/1/2	0.306	307/3	0.243
288/1/1/2	1.012	309/1	0.606
288/1/2/1	1.011	309/2	0.303
288/1/2/2	1.012	309/3	0.758
288/1/3/1	1.760	309/4	0.154
288/1/3/2/1	2.226	294	3.217
288/1/3/2/2	0.304	310/1	3.129
288/2	0.898	310/2	1.263
289/1	1.854	312	0.158
289/2/1	0.672	313	1.392
289/2/2	0.676	314/1	0.501
289/3/1	0.253	314/2	1.392
289/3/2	0.257	314/3	0.502
290 पैकी	1.304	315/1	0.449
293/1/1	2.926	315/2 पैकी	0.587
293/1/2	0.127	315/3 पैकी	0.142
293/1/3	0.253	315/4 पैकी	0.040
293/1/4	0.253	316/1 पैकी	0.162
293/1/5	0.633	316/2 पैकी	0.050
293/2 पैकी	4.069	251 पैकी	0.120
293/3/1 पैकी	1.525	योग . .	<u>152.980</u>
295	1.781		
296/1	0.757	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—म. प्र.	
296/2	1.841	गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल परियोजना संभाग,	
297/1/1	0.914	इन्दौर की आवासीय योजना बाबद्.	
297/1/2	0.308		
297/2	0.607	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी	
297/3	0.611	एवं भू-अर्जन शाखा अनुभाग, हातोद, जिला इन्दौर के	
298	0.570	कार्यालय में किया जा सकता है.	
299/2 पैकी	0.100		
301/1/1 पैकी	1.872	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
301/1 पैकी	0.539	आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	